IV - 140/10 42/2010

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UT

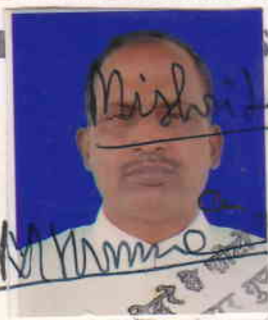

SH

423626

न्यास–पत्रक

न्यास का नाम– "रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट "

न्यास का प्रधान कार्यालय– 14/3/22 हेमकुञ्ज, शृंगारहाट, शहर अयोध्या परगना– हवेली अवध, तहसील– सदर, जिला– फ़ैज़ाबाद।

कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारतवर्ष।

मूल्यांकन ट्रस्ट डीड– रुपया 51,000 मात्र, स्टाम्प व्यय रुपया 1,000 मात्र

मैं मिश्रीलाल वर्मा पुत्र हेमराज वर्मा उम्र लगभग 58 साल साकिन निवासी 14/3/22, हेमकुंज, शृंगारहाट शहर– अयोध्या, परगना– हवेली अवध, तहसील– सदर, जिला–फैजाबाद मिनमुकिर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423627

(2)

संख्या (1) तथा डॉ. अवधेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मिश्रीलाल वर्मा उम्र लगभग 30 साल साकिन 14/3/22 हेमकुंज, मोहल्ला- शृंगारहाट, शहर- अयोध्या, जिला- फैजाबाद मिनमुकिर संख्या (2) इस ट्रस्ट के क्रमशः अध्यक्ष व मंत्री हैं जो सभी अयोध्यापुरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम की नगरी में अरसे से रह रहे हैं तथा अपने माता-पिता व पूर्वजन की इच्छानुसार तथा परिवार के हित-बन्धु के इच्छा तथा स्वतः प्रेरणा से मिनमुकिरान एक ट्रस्ट की स्थापना मानव समाज तथा शिक्षा के विकास के क्षेत्र के लिए कर देवें ताकि समाज में इस ट्रस्ट द्वारा श्रेष्ठ कार्य प्रत्येक क्षेत्र में हो सके इस न्यास का नाम मिनमुकिरान ने **"रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबिल ट्रस्ट"** रखा है जो सर्व सम्मत से कायम किया गया है तथा उक्त ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा ताकि समाज में अच्छे वातावरण में शिक्षा जगत में प्रचार-प्रसार तथा मानव उत्थान सम्बन्धी कार्य किया जा सके। अतएव हम मिनमुकिरान जो इस ट्रस्ट की कमेटी में क्रमशः अध्यक्ष, मैंत्री होंगे के साथ निम्न पदाधिकारी गण का मनोनयन सर्व

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423628

सम्मति से किया जा रहा है।

क्रम सं नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1. मिश्रीलाल वर्मा	पुत्र- स्व. हेमराज वर्मा	14/3/22 हेमकुञ्ज शृंगारहाट-अयोध्या	प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष
2. डॉ. अवधेश कुमार वर्मा	पिता- मिश्रीलाल वर्मा	14/3/22 हेमकुञ्ज शृंगारहाट-अयोध्या	स्थायी मन्त्री
3. डॉ. रेनू वर्मा	पत्नी- डॉ. अवधेश कुमार वर्मा	14/3/22 हेमकुञ्ज शृंगारहाट-अयोध्या	स्थायी कोषाध्यक्ष
4. श्रीमती किरन वर्मा	पत्नी- परमात्माप्रसाद वर्मा	हंसयोग आश्रम मार्ग, देवकाली चौराहा, फैजाबाद	स्थायी न्यासी

इस प्रकार उक्त ट्रस्ट में उपरोक्त चार स्थायी सदस्य होंगे जो बहुमत रूप से कार्य भारतीय संवैधानिक विधिक प्रक्रिया के तहत करेंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423629

न्यास का उद्देश्य एवं प्रयोजन—

(1) मानव-समाज के विकास के लिए सामान्य शिक्षा, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा, आधुनिक तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक शोध व शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा व प्रबन्धकीय शिक्षा के लिए स्कूल, शिक्षण-संस्थान, इञ्जीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व शोध-संस्थान खोलना, उनका प्रबन्ध करना एवं अनाथ, असहाय, प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधा प्रदान करना तथा योग्य प्रतिभावान् विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान करना एवं शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।

(2) अयोध्या तीर्थ के विकास के लिए उसके धार्मिक स्वरूप व परिकल्पना के अनुरूप वे सभी कार्य करना जो समय व परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त व आवश्यक हों। यहाँ स्थित प्राचीन मन्दिरों, कुण्डों व पहचान स्थलों को नष्ट होने से बचाने तथा उनके

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423630

जीर्णोद्धार-पुनरोद्धार व रख-रखाव की व्यवस्था करना, ताकि इस तीर्थ-स्थल की गरिमा पूर्ववत् कायम रहे।

(3) पौराणिक, दार्शनिक, धार्मिक, शैक्षिक, ऐतिहासिक, जीवनोपयोगी, उपदेशात्मक हर प्रकार की पुस्तकों का संकलन, प्रकाशन, मुद्रण व वितरण करना तथा उक्त हेतु वाचनालय, पुस्तकालय व ग्रन्थागार की स्थापना व प्रबन्ध करना।

(4) प्राचीन, धार्मिक, ऐतिहासिक पुस्तकों, पाण्डुलिपियों का संकलन करना, उनका रख-रखाव करना तथा इस निमित्त शोध कार्य करना।

(5) अयोध्या में रहने वाले असहाय, गरीब, लाचार आश्रयहीन साधु-सन्तों व सद्गृहस्थों, वृद्धों, बच्चों, महिलाओं पुरुषों को बिना किसी भेद-भाव के उनके आवास, भोजन, वस्त्र, इलाज व भजन के लिए समुचित व्यवस्था करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423631

(6) मानव-समाज के जीवन-रक्षा हेतु अत्याधुनिक औषधालयों/चिकित्सालयों की स्थापना व संचालन तथा उसमें समाज के लाचार, गरीब, असहाय, निराश्रित लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा-व्यवस्था, दवा की सुविधा प्रदान कर सेवा करना और असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों की हर सम्भव मदद करना।

(7) समाज के असहाय गरीब, निराश्रित वृद्ध व विधवाओं के आवास, भोजन, वस्त्र चिकित्सा की व्यवस्था करना।

(8) अयोध्या तीर्थ-स्थल में आये हुए तीर्थ-यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशाला एवं होटल की व्यवस्था करना। साथ ही साथ अन्य धार्मिक तीर्थ-स्थलों पर तीर्थ-यात्रियों के लिए आवास, भोजन तथा अन्य उपयुक्त व्यवस्था आवश्यकतानुसार करना।

(9) अयोध्या सहित देश के विभिन्न धार्मिक तीर्थ-स्थलों पर व समय-समय पर आयोजित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423632

होने वाले धार्मिक मेलों के अवसरों, जैसे– कुम्भ आदि में अन्न क्षेत्र चलाना तथा चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना।

(10) श्रीमद्‌भागवत, वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस, वेदों, उपनिषदों का प्रचार-प्रसार करना इस निमित्त कथा, प्रवचन, शोध-शिक्षा के प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यों की व्यवस्था करना।

(11) हिन्दू धर्म के उन्नयन के लिए कर्मकाण्डों व सांस्कृतिक शिक्षा हेतु व्यवस्था करना।

(12) हिन्दी व संस्कृत भाषा के साथ-साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए हर सम्भव उच्च कोटि की श्रेष्ठ व्यवस्था करना। इससे सम्बन्धित पुस्तकों का संकलन, प्रकाशन, मुद्रण व वितरण करना।

(13) अनाथालय व बाल तथा नारी-संरक्षण गृहों की स्थापना व प्रबन्ध करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423633

(14) विकलांग व नेत्रहीनों के लिए हर प्रकार की हर सम्भव निःशुल्क सेवा व सहायता करना।

(15) विक्षिप्त व पागल व्यक्तियों लिए चिकित्सा, औषधि, भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर उनकी सेवा व सहायता करना।

(16) कुष्ठ रोगियों के लिए आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा व औषधि की निःशुल्क व्यवस्था कर सेवा व सहायता करना।

(17) गरीब व मलिन बस्तियों तथा आदिवासियों के विकास के लिए उनकी हर प्रकार की सेवा, सहायता करना।

(18) प्रकृति द्वारा स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर जीवों के लिए उपलब्ध सभी ज्ञात/अज्ञात वस्तुओं, चीजों, स्थानों, वृक्षों, औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण, सुरक्षा, शोध तथा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423634

प्रचार-प्रसार करना।

(19) पर्यावरण-प्रदूषण को समाप्त करने हेतु समाज को जागृत करना, इसकी जानकारी देना, इस हेतु पुस्तक, पम्पलेट, शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(20) विधवा-विवाह व दहेज रहित विवाह तथा सामूहिक विवाह के लिए समाज का प्रोत्साहन करना।

(21) साहित्यकारों, कवियों, उत्कृष्ठ खिलाड़ियों, चित्रकारों या अन्य प्रकार के कलाकारों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना।

(22) प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, तूफान, चक्रवात, सूखा, अग्नि आदि से ग्रसित क्षेत्र के लोगों की प्राथमिक उपचार सहित जीवनोपयोगी व जीवन रक्षक हर प्रकार की सुविधा व सहायता निःशुल्क प्रदान करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423635

(23) राष्ट्रीय आपदा में राष्ट्रहित में हर सम्भव कार्य करना, इसके लिए समाज को प्रोत्साहित करना तथा उसमें यथासम्भव योगदान करना।

(24) मानव-जीवन के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाये जाने वाले सभी जीवधारियों पशु-पक्षी, पेड़ व जानवर चाहे वे वन्य जीव-जन्तु हों या जल में रहने वाले हो उनकी रक्षा, संरक्षण करना तथा उनको विनाश से बचाना तथा उनके बारे में शोध करना और मानव-जीवन के विकास में उनके योगदान के बारे में लोगों को जानकारी देना।

(25) गौ-शाला चलाना तथा गाय के संरक्षण व संवर्धन हेतु हर सम्भव प्रयास करना।

(26) अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल-अचल सम्पत्ति का उपार्जन करना, उसकी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423636

देख-रेख व सुरक्षा हेतु अनिवार्य सामग्री को प्राप्त करना, उसका उपयोग व प्रयोग करना।

(27) अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन अन्य कीमती पदार्थ तथा विभिन्न आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करना, उनके अधिकार अर्जित करना, उनको धारण करना, सुरक्षित रखना, उनका विनिधान करना।

(28) ट्रस्ट के उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे सभी कार्यों को करना जो व्यवहार जगत् में आवश्यक व सहायक हों।

(29) ट्रस्ट के सभी उद्देश्य धर्मार्थ होंगे।

मैं मिनमुकिर संख्या (1) "रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट" का संस्थापक/अध्यक्ष आजीवन रहूँगा जब तक कि किसी रोग या मृत्यु से इस न्यास के कार्य-निर्वाह में असमर्थ न हो जाऊँ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423637

इस सेवा के कार्य निष्पादन में मुझे सहायता-सहयोग एवं सलाह देने के लिए जो न्यासी मनोनीत कर नियुक्त किये गये हैं, उन्हें इस न्यास पत्रक द्वारा इस न्यास का स्थायी न्यासी घोषित एवं नियुक्त किया जाता है और यह तब तक स्थायी न्यासी रहेंगे जब तक कि किसी रोग या मृत्यु से न्यास के कार्य-निर्वाह में असमर्थ न हो जायँ या सहयोग देना स्वेच्छा से बन्द न कर दें। स्थायी न्यासी के नाम व पते निम्नलिखित है--

क्रम सं नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1. मिश्रीलाल वर्मा	पुत्र- स्व. हेमराज वर्मा	14/3/22 हेमकुञ्ज शृंगारहाट-अयोध्या	प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष
2. डॉ. अवधेश कुमार वर्मा	पिता- मिश्रीलाल वर्मा	14/3/22 हेमकुञ्ज शृंगारहाट-अयोध्या	स्थायी मन्त्री
3. डॉ. रेनू वर्मा	पत्नी- डॉ. अवधेश कुमार वर्मा	14/3/22 हेमकुञ्ज शृंगारहाट-अयोध्या	स्थायी कोषाध्यक्ष
4. श्रीमती किरन वर्मा	पत्नी- परमात्माप्रसाद वर्मा	हंसयोग आश्रम मार्ग, देवकाली चौराहा, फैजाबाद	स्थायी न्यासी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423638

इस प्रकार से "रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट" में उक्त स्थायी न्यासी होंगे। उपर्युक्त सभी संस्थापक न्यासी होंगे जो आजीवन इस न्यास में स्थायी न्यासी रहेंगे। उपरोक्त स्थायी न्यासियों के अलावा विशेष न्यासियों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा तथा उन्हें जब चाहे हटाकर इनके स्थान पर नये विशेष न्यासी शामिल किये जा सकेंगे। ऐसे विशेष न्यासियों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी। ऐसे विशेष न्यासियों की नियुक्ति एवं हटाने का अधिकार केवल अध्यक्ष एवं मंत्री को ही होगा।

"रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट" के उद्देश्यों व प्रयोजकों की पूर्ति हेतु उसके विभिन्न कार्यों के संचालन व प्रबन्ध हेतु तथा दैनिक कार्यों व व्यवस्था हेतु इसमें निम्नलिखित पदाधिकारी अध्यक्ष, मन्त्री, कोषाध्यक्ष होंगे। पदाधिकारी की संख्या न कभी भविष्य में बढ़ायी जायेगी न कम की जायेगी ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423639

मैं मिनमुकिर संख्या (1) "रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट" का प्रथम संस्थापक/अध्यक्ष तथा मिनमुकिर संख्या (2) मंत्री व डॉ. (श्रीमती) रेनू वर्मा कोषाध्यक्ष रहेगी। जो आजीवन अपने उक्त पदों पर बने रहेंगे। अध्यक्ष, मन्त्री व कोषाध्यक्ष न्यासी गण के लिए गये निर्णयों एवं निर्देशों के तहत न्यास में कार्यों को करेंगे तथा उसकी देख-भाल करेंगे।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों की नियुक्ति–

इस न्यास-पत्रक द्वारा नियुक्त पदाधिकारी अध्यक्ष, मन्त्री, कोषाध्यक्ष अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे। इनमें से किसी की मृत्यु हो जाने, त्याग-पत्र देने या किसी रोग से ग्रसित होकर असमर्थ हो जाने पर उसे अपने स्थान पर अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति को न्यासी मनोनीत/ नामित करने का अधिकार होगा। मनोनीत/नामित न्यासी रिक्त पद ग्रहण कर लेगा, यदि किसी न्यासी ने ऐसा

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423640

नहीं किया है, तो शेष बचे न्यासी गण सर्वसम्मत व बहुमत के निर्णय से अपने मे से किसी भी न्यासी को उक्त रिक्त पदों पर पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष मिश्रीलाल वर्मा की मृत्यु के बाद श्री अवधेश कुमार वर्मा इस न्यास के अध्यक्ष होंगे एवं इसके बाद अध्यक्ष पद पर पीढ़ी दर पीढ़ी ज्येष्ठ पुत्र ही अध्यक्ष के रूप में नामित होंगे।

ट्रस्ट के स्थायी न्यासीगणों की नियुक्ति—

इस न्यास-पत्रक द्वारा नियुक्त सभी न्यासी गण इस न्यास के स्थायी न्यासी होगें। उन्हें अपने जीवन काल मे अपने स्थान पर न्यासी नामित/मनोनीत करने का अधिकार होगा, लेकिन वे अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति को अपने स्थान पर नामित/मनोनीत कर सकेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो किसी न्यासी का स्थान रिक्त होने पर शेष बचे न्यासीगण मृतक न्यासी के परिवार के

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 424256

किसी योग्य व्यक्ति का सर्वसम्मत वा बहुमत से प्रस्ताव पास कर नियुक्त भविष्य में कर सकेंगे। यदि उस न्यासी के परिवार में ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, तो शेष न्यासी गण अपने परिवार में से किसी योग्य व्यक्ति को सर्मसम्मत या बहुमत से प्रस्ताव पारित कर न्यासी नियुक्त करेंगे। सभी न्यासी के लिए आवश्यक होगा कि हेमराज वर्मा के परिवार के हों तथा हिन्दू धर्म को मानने वाले हों और ट्रस्ट के कार्यों, प्रयोजनों व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हितकर हों।

ट्रस्ट के विशेष न्यासीगणों की नियुक्ति–

अधिक से अधिक सात विशेष न्यासी गणों की नियुक्ति का अधिकार ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं मंत्री को ही होगा। जिनका अधिकतम कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। ऐसे किसी विशेष ट्रस्टी की पुनर्नियुक्ति का अधिकार भी अध्यक्ष एवं मंत्री को ही होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 424257

ट्रस्ट के न्यासीगण की सदस्यता समाप्ति–

न्यास के न्यासीगण की सदस्यता समाप्त हो जायेगी- उनके त्याग-पत्र देने पर, मृत्यु पर, ट्रस्ट के हित के प्रतिकूल कार्य करने पर, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित होने पर।

ट्रस्ट की बैठक–

(1) ट्रस्ट की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी जो ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय पर होगी या इसके अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी होगी, जहाँ ट्रस्टीगण निश्चय करें। बैठक की लिखित सूचना अध्यक्ष की अनुमति से मन्त्री द्वारा एक सप्ताह पूर्व सभी न्यासीगण को उचित माध्यम जो उपलब्ध व उपयुक्त हो दी जायेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 424258

(2) बैठक में न्यासीगण की गण पूर्ति की संख्या स्थायी न्यासियों की संख्या का दो तिहाई आवश्यक होगा। अध्यक्ष को गण पूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित न करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष द्वारा गण पूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित न करने पर बैठक में उपस्थित न्यासीगण निर्णय ले सकेंगे, जो सर्वमान्य होगा। विशेष ट्रस्टियों को गण पूर्ति में शामिल नहीं किया जायेगा।

(3) न्यास की वार्षिक बैठक में वर्ष भर का ट्रस्ट का आय-व्यय का लेखा-जोखा मन्त्री द्वारा ट्रस्ट का बजट बनाकर बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा तथा ट्रस्टियों से पास कराया जायेगा।

(4) न्यास के आय-व्यय व लेखा-जोखा व बजट को देखने का अधिकार सभी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AA 569982

न्यासीगण को होगा।

(5) न्यास की बैठक में उपस्थित सभी स्थायी न्यासीगण के सर्वसम्मत या बहुमत से सभी निर्णय किये जायेंगे, जो सर्वमान्य होंगे। मत-विभाजन की स्थिति में प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष को विशेष मत देने का अधिकार होगा तथा वही निर्णायक होगा।

(6) न्यास की वार्षिक बैठक के अतिरिक्त किसी आकस्मिक बैठक को भी अध्यक्ष की अनुमति से मन्त्री आहूत करेगा, जिसमें दिनांक, समय व स्थान का उल्लेख होगा।

(7) न्यास की वार्षिक बैठक में सभी न्यासीगण का आना अनिवार्य होगा। न्यासी गण अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा वे

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AA 569983

केवल तीन बार कर सकते हैं, चौथी बैठक में उन्हें स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होगा। प्रतिनिधि न्यासीगण के परिवार का ही होगा।

(8) किसी न्यासी या न्यास के पदाधिकारी की मृत्यु पर या अन्य स्थिति में उनका स्थान रिक्त होने पर न्यास की आकस्मिक बैठक कर नये स्थायी न्यासी व पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

(9) इस न्यास-पत्रक द्वारा नियुक्त न्यासीगण तथा पदाधिकारियों के अतिरिक्त भविष्य में जो स्थायी न्यासीगण व पदाधिकारी नियुक्त होंगे वे अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे, जब तक उपर्युक्त कारणों से उनकी न्यास की सदस्यता समाप्त न हो जाये।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AA 569984

संस्थापक /अध्यक्ष का अधिकार व कर्त्तव्य—

संस्थापक/अध्यक्ष न्यास के सभी कार्यों का पूर्ण नियन्त्रण व संचालन का अधिकारी होगा, जिसके आदेशों का पालन करना सभी पदाधिकारियों व न्यासीगण को मान्य होगा। अध्यक्ष न्यास की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुमति से मन्त्री न्यास की वार्षिक बैठक या अन्य बैठकों को आहूत करेगा। अध्यक्ष को न्यास की बैठकों मे मत-विभाजन/ समान मत की स्थिति में अपना एक विशेष मत देने का अधिकार होगा, जो सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार की विवाद के स्थिति में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य तथा वाध्यकारी होगा। अध्यक्ष मिनमुकिर संख्या (1) संस्थापक उक्त संस्था का है। जो आजीवन रहेंगे। अध्यक्ष को ट्रस्ट के हित में कोई भी कार्य करने हेतु स्वयं निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AA 569985

मन्त्री के अधिकार तथा कर्त्तव्य–

मन्त्री न्यास द्वारा अपनी बैठकों में लिये गये सभी निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा। न्यास के अभिलेखों को तैयार करेगा तथा उनका रख-रखाव करेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं, कार्यों व व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेगा तथा अध्यक्ष के अनुसार न्यास की बैठकों को आहूत करेगा। न्यास की बैठकों में लिये गये निर्णयों तथा अध्यक्ष के आदेशों निर्देशों, का क्रियान्वयन व परिपालन करेगा। अध्यक्ष की अनुंमति से मन्त्री को प्रतिनिधि के रूप में पत्र-व्यवहार व सरकारी न्यायालयों के कार्यों के करने का अधिकार होगा। और संस्था के हित के लिए वे सभी कार्य जो जरूरी व आवश्यक हो उनको करना।

कोषाध्यक्ष का अधिकार-कर्तव्यं–

कोषाध्यक्ष न्यास के सम्पूर्ण सभी आय-व्यय का लेखा-जोखा रखेगा तथा उससे न्यास के

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 79AA 569986

पदाधिकारियों व न्यासीगण को अवगत करायेगा। बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से न्यास के खातों का स्टेटमेण्ट एकाउण्ट प्राप्त करेगा। न्यास निधि की अभिरक्षा करेगा।

इस प्रकार से न्यास के अध्यक्ष, मन्त्री, कोषाध्यक्ष न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार न्यास की बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन या पूर्ति करेंगे तथा न्यास की सारी व्यवस्था करेंगे।

कर्मचारी रखने व हटाने का अधिकार–

न्यासीगण को अपने न्यास के विभिन्न उद्देश्यों/प्रयोजनों व कार्यों के सम्पादन/संचालन के लिए अपने द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों को रखने व कार्यमुक्त करने का अधिकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AA 569987

न्यास का खाता—

न्यास का खाता किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में अध्यक्ष, मन्त्री व कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से खोला जायेगा जिसका संचालन इनमें से किसी दो के हस्ताक्षर से होगा, लेकिन प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष का हस्ताक्षर आवश्यक होगा। किसी दशा में न्यास की किसी भी सम्पत्ति को किसी न्यासी या न्यास के किसी पदाधिकारी को अपने निजी नाम से रखने या कोई धनराशि उक्त लोगों द्वारा अपने स्वयं के नाम से जमा करने का अधिकार नहीं होगा।

न्यास की आय एवं प्राप्तियों का साधन—

उपहार, दान, अनुदान से प्राप्त धनराशि, वैभव, वसीयतनामा या अन्य लेख-पत्र से प्राप्त चल-अचल सम्पत्तियाँ या धनराशि न्यास की अपनी सेवाओं या न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं से

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AA 569988

प्राप्त सम्पत्ति, न्यास के अपने व्यापार से प्राप्त धनराशि न्यास को अपनी विशेष निधियाँ रखने का अधिकार होगा। न्यास को प्राप्त सभी धनराशि न्यास की सम्पत्ति होगी। उपरोक्त के अलावा किसी बैंक वित्तीय संस्था या अन्य से आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी लिया जा सकेगा। न्यास के हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर न्यास को अपनी चल अचल सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार होगा। लेकिन यह फैसला सर्व सम्मति से होगा।

न्यास की सरप्लस निधियों का निवेश--

न्यास की सरप्लस निधियों का निवेश बैंक डिपाजिट, बॉण्डों तथा अन्य प्रतिभूतियों में आवश्यकता पड़ने पर करने का अधिकार अध्यक्ष एवं मंत्री को होगा तथा न्यास को दूसरी संस्थाओं या व्यक्ति विशेष को ऋण देने का भी अधिकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AA 569989

न्यास की नियमावली में संशोधन—

न्यास की नियमावली में किसी प्रकार का कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में उक्त ट्रस्ट में परिवर्तन, परिवर्द्धन करने का अधिकार बहुमत राय से होगा यानि जरूरत पड़ने पर विधिक राय मिलने में संशोधन करने का अधिकार इस कमेटी को होगा। न्यासीगण अपने बहुमत से नियमावली में परिवर्तन व परिवर्द्धन कर सकेंगे, लेकिन न्यास के मूल उद्देश्यों के विपरीत कोई भी संशोधन कभी नहीं किया जायेगा। यानी इस ट्रस्ट की मूल आत्मा के विपरीत कोई कार्य नहीं होगा।

न्यास की संरचना निधि—

मैं मिनमुकिर संख्या (1) जो कि इस न्यास-पत्रक का संस्थापक अध्यक्ष हूँ तथा इस न्यास

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 79AA 569990

का प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष हूँ। मैंने इस न्यास की निधि के सृजन में 51,000/रु. सहयोग प्रदान कर दिया है। जो न्यास की स्थायी निधि की संरचना होती है। और जिस न्यास निधि पर स्टाम्प देय हेतु रुपया एक हजार मात्र का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। जो पर्याप्त है।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति में भारतीय न्यास अधिनियम के प्राविधान लागू होंगे।

मैंने इस न्यास-पत्रक में वर्णित उपर्युक्त सभी व्यवस्थाओं/विधियों को भली प्रकार सोच समझकर स्वस्थ चित्त व स्वतन्त्र मन, बुद्धि से आरोग्यता की स्थिति में रहकर इस न्यास का गठन किया है, जिसका हर प्रकार से परिपालन सुनिश्चित करना ही इस न्यास का प्रमुख कार्य व उद्देश्य होगा, अतः मैं संस्थापक मिश्रीलाल वर्मा एवं मिनमुकिर संख्या (2) डॉ. अवधेश कुमार वर्मा मंत्री

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AA 569991

द्वारा इस न्यास पत्रक को दिनाँक 15.4.2010 को निष्पादित किया गया कि प्रभाव रहे और भविष्य में काम आवें।

दिनाँक 15.4.2010

हस्ताक्षर
मिनमुकिर संख्या (1)

(मिश्रीलाल वर्मा)

हस्ताक्षर
मिनमुकिर संख्या (2)

(डॉ. अवधेश कुमार वर्मा)

टंकणकर्त्ता –जैसराज प्रजापति, पुत्र– श्रीराम मनोहर
ग्राम– विजैनपुर सजहरा पोस्ट– रामपुर भगन जिला– फैज़ाबाद

मसविदाकर्त्ता– कृष्ण कुमार दस्तावेज लेखक

गवाहान– 1.

गवाहान 2. [illegible] कमालेल दस्तावेज लेखक

दस्तावेज लेखक का नाम कृष्ण कुमार गुप्ता
अनुज्ञप्ति सं० 4 दिनांक 31.3.2011
तक विद्यमान जिला और स्थान उप निबंधक
कार्यालय जिला फैजाबाद ली गयी फीस 25/-
दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर..... [illegible]

19 04/10 477 50 टस्ट डीड

दि०........ रजि० नं० .... कीमत .... वास्ते ....

नाम क्रेता .... मिश्री लाल वर्मा पुत्र हेमराज वर्मा सा० नि० 14/3/22, हेमकुंज श्रृंगार घाट शहर अयोध्या पर० हवेली अवध तह० सदर जिला फैजाबाद

शामिल नं० ....

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158 / 9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि – 01–04–10 से 31–03–11

19 04/10

दि०........ रजि० न०.....478.....कीमत.....50.....वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं०..........477..............................

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि – 01–04–10 से 31–03–11

दि0 19-04-10 रजि0 नं0 479 कीमत 50 वास्त.
नाम क्रेता..
शामिल नं0 477
स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9
बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

दि0 19-04-10 रजि0 नं0 480 कीमत 50 वास्त.
नाम क्रेता..
शामिल नं0 477
स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं0 158/9
बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

दि० 19/04/10 रजि० नं० 481 कीमत 50 वास्ते.

नाम केता..

शामिल नं० 477

स्टाम्प विकेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

19 04/10

दि0........रजि0 न0....482......कीमत....50.....वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं0..............477.............................

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं0 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

दि० 19/04/10 रजि० न० 483 कीमत 50 वास्त.
नाम क्रेता..
शामिल नं० 477
स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9
बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

19/04/10

दि०........रजि० नं०......484......कीमत......50......वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं०..............477..............

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9

विक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

दि० 19/04/10 रजि० न० 485 कीमत 50 वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं० 477

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

19-04-10 486 50

दि0........रजि0 न0..........कीमत..........वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं0........477..

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं0 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

19 04/6

दि०........रजि० न०....487......कीमत....50......वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं०...............477...............

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

दि० 19/04/10 रजि० न० 488 कीमत 50 वास्ते
नाम क्रेता ....
शामिल नं० 477
स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158 / 9
बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

दि0 19-04/10 रजि0 न0 489 कीमत 50 वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं0 477

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं0 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

दि० 19/04/10 रजि० न० 490 कीमत 50 वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं० 477

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158 / 9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

19-04-10
दि०........रजि० न० 491 कीमत 50 वास्त.
नाम क्रेता...
शामिल नं० 477
स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9
बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

दि० 19-04-10 रजि० न० 492 कीमत 50 दास्त.

नाम केता.......................................

शामिल नं० 477

स्टाम्प विक्रेता का नाम *अजीत कुमार सिंह* ला.नं० 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

19-04-10 493 50

दि०........रजि० न०..........कीमत..........वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं०..........477..........................

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 153/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

दि० 19-04-10 रजि० नं० 494 कीमत 50 वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं० 477

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 153/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

दि० 19-04-6 रजि० न० 495 कीमत 10 वास्त.
नाम क्रेता..
शामिल नं० 477
स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9
बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

दि० 19-04-10 रजि० न० 496 कीमत 10 वास्त.
नाम केता..
शामिल नं० 477
स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9
बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

19-04-10 497 10

दि०........रजि० नं०..........कीमत..........वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं०..........477..........................

स्टाम्प विक्रेता का नाम *अजीत कुमार सिंह* ला.नं० 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

19-04-10

दि0........रजि0 न0....498.....कीमत....10.....वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं0.................477.........................

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं0 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

दि० 19-04-10 रजि० न० 499 कीमत 10 वास्त.
नाम क्रेता
शामिल नं० 477
स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9
बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

19 04/6

दि0........रजि0 न0....500......कीमत....10......वास्त.

नाम क्रेता...

शामिल नं0.............477....................

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं0 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

19 04/6

दि0........रजि0 नं0....501....कीमत....10....वास्त.
नाम केता..
शामिल नं0..................477..................
स्टाम्प विकेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं0 158/9
बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि – 01-04-10 से 31-03-11

19/04/10

दि०........रजि० नं०.........502.........कीमत.........10.........वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं०....................477....................

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

न्यास पत्र

51,000.00	510.00	20	530.00	800	
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री मिश्री लाल वर्मा

पुत्र श्री हेमराज वर्मा

पेशा व्यापार

निवासी स्थायी 14/3/22 हेमकुंज श्रृंगारहाट अयोध्या फैजाबाद

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/4/2010 समय 3:39PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.के.त्रिपाठी
सब रजिस्ट्रार
फैजाबाद
20/4/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री मिश्री लाल वर्मा
पुत्र श्री हेमराज वर्मा
पेशा व्यापार
निवासी 14/3/22 हेमकुंज श्रृंगारहाट अयोध्या फैजाबाद

श्री डा. अवधेश कुमार वर्मा
पुत्र श्री मिश्री लाल वर्मा
पेशा शिक्षक
निवासी 14/3/22 हेमकुंज श्रृंगारहाट अयोध्या फैजाबाद

(एस. के. त्रिपाठी)
उप निबन्धक
सदर
फैजाबाद

19-04-10

दि०.......रजि० नं० 503 कीमत 10 वास्त.

नाम क्रेता..

शामिल नं० 477

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9

बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री कृष्ण कुमार गुप्ता

पेशा दस्तावेज लेखक

निवासी रजिस्ट्री आसिफ सदर फैजाबाद

व श्री विजय कुमार

पुत्र श्री कैलाश नाथ

पेशा व्यापार

निवासी निरालानगर फैजाबाद

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.के.त्रिपाठी
सब रजिस्ट्रार
फैजाबाद
20/4/2010

19-04-10

दि०........रजि० नं०....504......कीमत....10......वास्त.
नाम केता..
शामिलु नं०.........477..............................
स्टाम्प विकेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9
बिक्री का स्थान उपनिबंधक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि – 01-04-10 से 31-03-11

न्यासी

Registration No.: 42 Year : 2,010 Book No. : 4

0101 मिश्री लाल वर्मा

हेमराज वर्मा

14/3/22 हेमकुंज श्रृंगारहाट अयोध्या फैजाबाद

व्यापार

0102 डा. अवधेश कुमार वर्मा

मिश्री लाल वर्मा

14/3/22 हेमकुंज श्रृंगारहाट अयोध्या फैजाबाद

शिक्षक

(एस. के त्रिपाठी)
उप निबन्धक
सदर
फैजाबाद

नाम

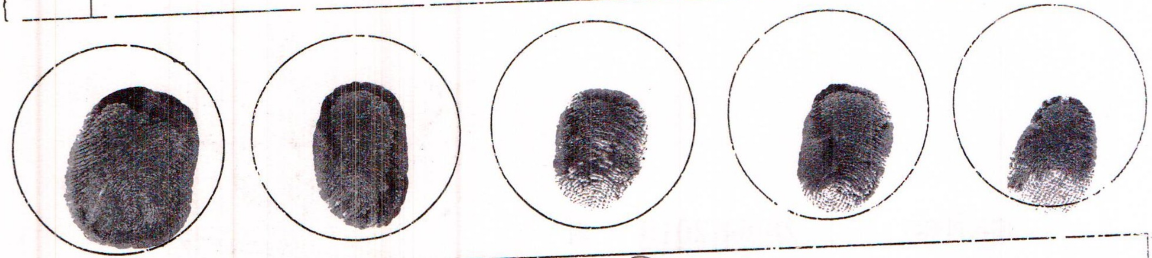

नाम निक्की लाल वर्मा

नाम निक्की लाल वर्मा

नाम डा० अवधेश कुमार वर्मा

नाम डा० अवधेश कुमार वर्मा

हस्ताक्षर पक्षकार:—

आज दिनांक **20/04/2010** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **360**

पृष्ठ सं. **161** से **218** पर कमांक **42**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Tripathi

एस.के.त्रिपाठी

सब रजिस्ट्रार

फैजाबाद

20/4/2010